निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श0)

(सं0 पटना 395) पटना, वृहस्पतिवार, 10 जून 2021

uxj fodkl ,oa vkokl foHkkx

अधिसूचना

10 फरवरी 2021

lŒ 5 u0fo0@xBu&16@2020&516/u0fo0,oa vk0fo0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले कैमूर जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या–4292 दिनांक 26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :–

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना नं0	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	प्रस्तावित नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	प्रस्तावित नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
01	नगर पंचायत रामगढ़	रामगढ़–214 गोड़सरा–215 बन्दीपुर–216	रामगढ़ (आंशिक) बांदीपुर (आंशिक)	उत्तर–अकोढ़ी–217 दक्षिण–अंशी–444 (बेचिरागी) पूरब–दुर्गावती नदी पश्चिम–डहकर–180	18152

2. इस क्षेत्र को नगर पंचायत कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुंरत प्रवृत्त होगी।

fcgkj&jkT;iky d vkn'k ls]
¼gŒ½ vLi"V]
ljdkj d lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 395-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in